



कार्यालय
महाप्रबंधक /सतर्कता
गोरखपुर
273012
दिनांक 27.03.2025

सं Z/13/V4/2024/10/01455/PC/10/11

प्रधान वित्त सलाहकार, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:- पद्धति सुधार जारी किये जाने के संबंध में।

एक निवारक जांच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि एक रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु दिनांक 06.07.2021 को हो जाने पर उसके पुत्र के पक्ष में पारिवारिक पेंशन हेतु PPO दिनांक 21.01.2022 को जारी हुआ। उसके पुत्र को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान दिनांक 07.07.2021 से हो रहा था।

अनुकम्पा के आधार पर उसके पुत्र (जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था) की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 13.03.2023 को हुयी। नियुक्ति के उपरांत भी उसके पुत्र द्वारा बैंक में जीवित रहने का प्रमाण पत्र एवं नौकरी न करने का प्रमाण पत्र का प्रारूप में घोषणा पत्र दिनांक 30.12.2023 को भरकर दिया गया और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार उस कर्मचारी द्वारा पेंशन एवं वेतन दोनों का भुगतान एक साथ प्राप्त किया जा रहा था।

भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करते हुए एक पद्धति सुधार जारी किये जाने की आवश्यकता उचित प्रतीत हो रही है:-

1. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु हितकर निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाते है उस चेक लिस्ट में एक मद यह भी होना चाहिए कि अभ्यर्थी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं।
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के कार्यालय आदेश में उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं का अंकन होना चाहिए।
3. यदि रेल सेवक के पुत्र या पुत्री को जिन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा था उनकी अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति होती है तो संबंधित लेखा कार्यालय को PPO वापस लिए जाने के पत्र लिखा जाना चाहिए।
4. कर्मचारी की नियुक्ति के समय शपथ पत्र, साक्ष्यांकन पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु), बहु-विवाह घोषणा-पत्र के साथ-साथ सरकारी धन प्राप्ति का घोषणा-पत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
5. PPO जारी करते समय संबंधित व्यक्ति का IPAS में आधार कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर अवश्य Feed किया जाना चाहिए।

उपरोक्त पर व.उ.म.प्र. महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

27/3/2025
(जे० ए० वैन्डीन)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/48/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 133407) दिनांक 11.04.2025

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय :- पद्धति सुधार जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

एक जाँच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि एक रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु दिनांक 06.07.2021 को हो जाने पर उसके पुत्र के पक्ष में पारिवारिक पेंशन हेतु PPO दिनांक 21.01.2022 को जारी हुआ। उसके पुत्र को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान दिनांक 07.07.2021 से हो रहा था।

अनुकम्पा के आधार पर उसके पुत्र (जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था) की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 13.03.2023 को हुयी। नियुक्ति के उपरान्त भी उसके पुत्र द्वारा बैंक में जीवित रहने का प्रमाण पत्र एवं नौकरी न करने का प्रमाण पत्र का प्रारूप में घोषणा पत्र दिनांक 30.12.2023 को भरकर दिया गया और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार उस कर्मचारी द्वारा पेंशन एवं वेतन दोनों का भुगतान एक साथ प्राप्त किया जा रहा था।

भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए एक पद्धति सुधार जारी किये जाने की आवश्यकता उचित प्रतीत हो रही है—

1	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा जो जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाते हैं उस चेक लिस्ट में एक मद यह भी होना चाहिए कि अभ्यर्थी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं।
2	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के कार्यालय आदेश में उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं का अंकन होना चाहिए।
3	यदि रेल सेवक के पुत्र या पुत्री को जिन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा था उनकी अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति होती है तो सम्बन्धित लेखा कार्यालय को PPO वापस लिए जाने के पत्र लिखा जाना चाहिए।
4	कर्मचारी की नियुक्ति के समय शपथ-पत्र, साक्ष्यांकन पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु), बहु-विवाह घोषणा-पत्र के साथ-साथ सरकारी धन प्राप्ति का घोषण-पत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
5	PPO जारी करते समय सम्बन्धित व्यक्ति का IPAS में आधार कार्ड नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अवश्य Feed किया जाना चाहिए।

Digitally Signed by Vinod

Kumar Dwivedi

Date: 11-04-2025 15:18:35

Reason: Approved

(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/सरकारी धन प्राप्ति घोषणा-पत्र

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 2-महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4- महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एशोशिएसन।

(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/48/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 133407) दिनांक 11.04.2025

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय :- पद्धति सुधार जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

एक जाँच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि एक रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु दिनांक 06.07.2021 को हो जाने पर उसके पुत्र के पक्ष में पारिवारिक पेंशन हेतु PPO दिनांक 21.01.2022 को जारी हुआ। उसके पुत्र को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का भुगतान दिनांक 07.07.2021 से हो रहा था।

अनुकम्पा के आधार पर उसके पुत्र (जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था) की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 13.03.2023 को हुयी। नियुक्ति के उपरान्त भी उसके पुत्र द्वारा बैंक में जीवित रहने का प्रमाण पत्र एवं नौकरी न करने का प्रमाण पत्र का प्रारूप में घोषणा पत्र दिनांक 30.12.2023 को भरकर दिया गया और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार उस कर्मचारी द्वारा पेंशन एवं वेतन दोनों का भुगतान एक साथ प्राप्त किया जा रहा था।

भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए एक पद्धति सुधार जारी किये जाने की आवश्यकता उचित प्रतीत हो रही है—

1	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा जो जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाते हैं उस चेक लिस्ट में एक मद यह भी होना चाहिए कि अभ्यर्थी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं।
2	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के कार्यालय आदेश में उन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा है या नहीं का अंकन होना चाहिए।
3	यदि रेल सेवक के पुत्र या पुत्री को जिन्हें पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो रहा था उनकी अनुकम्पा के आधार पर रेल सेवा में नियुक्ति होती है तो सम्बन्धित लेखा कार्यालय को PPO वापस लिए जाने के पत्र लिखा जाना चाहिए।
4	कर्मचारी की नियुक्ति के समय शपथ-पत्र, साक्ष्यांकन पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन हेतु), बहु-विवाह घोषणा-पत्र के साथ-साथ सरकारी धन प्राप्ति का घोषण-पत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए।
5	PPO जारी करते समय सम्बन्धित व्यक्ति का IPAS में आधार कार्ड नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अवश्य Feed किया जाना चाहिए।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/सरकारी धन प्राप्ति घोषणा-पत्र

(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 2-महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
- 3- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
- 4- महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एशोशिएसन।

Digitally Signed by Vinod
Kumar Dwivedi

Date: 11-04-2025 15:19:59

Reason: Approved

(वी.के.द्विवेदी)

उपमुकाधि/मुख्या.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे

सरकारी धन प्राप्ति घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ।

- 1- यह कि मैं बेरोजगार हूँ/नहीं हूँ ।
- 2- यह कि मुझे किसी भी स्रोत से सरकारी धन (पेंशन/पारिवारिक पेंशन या अन्य) प्राप्त होता है/प्राप्त नहीं होता है।

मैं निष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सत्य है, मेरी नियुक्ति के बाद भी इस घोषणा के गतल पाये जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की जा सकती है।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर